



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 4253/2025

वैभव पाठक पिता विकास पाठक, 40 वर्ष, निवासी गाँव नवगाँव, पोस्ट पंडातराई जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - छत्तीसगढ़ राज्य सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग के सचिव के द्वारा महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
- 2 - छत्तीसगढ़ राज्य,परिवहन आयुक्त के द्वारा अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)
- 3 - जिला परिवहन अधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

---उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु:-- श्री अंकुर दीवान, राज्य अधिवक्ता

राज्य हेतु:-- श्री सौमित्र केसरवानी, पैनल अधिवक्ता

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश)

पीठ पर आदेश

11/08/2025

1. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से, प्रकरण की अंतिम सुनवाई की गई।
2. वर्तमान याचिका के माध्यम से , याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोष मांग रहा है:---

"10.1 अतः यह प्रार्थना की जाती है कि, यह माननीय न्यायालय उत्तरवादी सं.2 द्वारा पारित दिनांक 25.07.2025 (अनुलग्नक पी/1) के आदेश को रद्द करने/ अपास्त करने के लिए एक रिट/आदेश/निर्देश जारी करने की कृपा करे, जो उत्तरवादी सं 3 द्वारा पारित दिनांक 07.04.2025 (अनुलग्नक पी/2) के आदेश से उत्पन्न हुआ है, और न्याय के हित में ड्राइविंग अनुज्ञप्ति संख्या CG09/2003/0000506 के निलंबन को रद्द करे।



10.2 कोई भी दूसरी अनुतोष, जो इस माननीय न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सही और उचित लगें, वे भी याचिकाकर्ता को प्रदान करने की कृपा करें।"

3. याचिकाकर्ता इस रिट याचिका के तहत उत्तरवादी सं 2 द्वारा अपील सं 07/2025 में 25.07.2025 को पास किए गए आदेश (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती दे रहा है, जो उत्तरवादी सं 3 द्वारा 07.04.2025 को पास किए गए आदेश (अनुलग्नक पी/2) से जुड़ा है। इस आदेश में याचिकाकर्ता का ड्राइविंग अनुज्ञप्ति भा.दं. सं. की धारा 279, 337, 304A, 338 के तहत पुलिस थाना पिपरिया में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन सं 178/2024 के कारण 07.04.2025 से 06.10.2025 तक 6 माह हेतु निलंबित कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 12.05.2024 को, याचिकाकर्ता के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 279, 337, 304 ए, 338 के तहत पी. एस. पिपरिया, जिला कबीरधाम, सी. जी. में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन सं 178/2024 दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 11.05.2024 पर, सुबह लगभग 10.45 बजे पर, याचिकाकर्ता टाटा नेक्सन कार सं सी. जी. 04 एम. एम. 3142 और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण उसने मोटरसाइकिल सी. जी. 09 जे. पी. 3679 को टक्कर मार दी, जिससे पुनाराम कश्यप की मौके पर ही मौत हो गई और बीरेंद्र कश्यप को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसलिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध भा.दं. सं. की धारा 279, 337, 304 ए, 338 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

5. इसके बाद, उत्तरवादी सं 3 ने अपने 07.04.2025 के आदेश से, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 19 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के नियम 21 के तहत अपनी शक्तियों और प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए, याचिकाकर्ता का ड्राइविंग अनुज्ञप्ति CG09/2003/0000506 07.04.2025 से 06.10.2025 तक 6 महीने की अवधि हेतु निलंबित कर दिया गया है। दिनांक 07.04.2025 के आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की धारा 19(3) के तहत अपील दायर की गई है और उत्तरवादी संख्या 2 ने अपने आदेश दिनांक 25.07.2025 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील संख्या 07/2025 को खारिज कर दिया और उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। अतः, यह याचिका प्रस्तुत किया गया है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है तथा आपराधिक मामला लंबित है तथा यह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य हेतु निर्धारित किया गया है, जिसका अर्थ है कि आज तक याचिकाकर्ता को दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए, याचिकाकर्ता के ड्राइविंग अनुज्ञप्ति को निलंबित करने में उत्तरवादी अधिकारियों की कार्यवाही सही तथा उचित नहीं है। वह अंत में तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता के ड्राइविंग अनुज्ञप्ति का निलंबन नियमों को बनाए रखने योग्य नहीं है, इसलिए, इसे अपास्त किया जाना चाहिए।



7. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और सेंट्रल मोटर वाहन नियम, 1989 के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्होंने याचिकाकर्ता का ड्राइविंग अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया है तथा इसे उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा भी सही ठहराया गया है।

8. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और दस्तावेजों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

9. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 21 इस प्रकार है:---

21. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की अयोग्य घोषित करने की शक्तियां। धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (च) के प्रयोजन के लिए, चालन अनुज्ञप्ति धारक द्वारा निम्नलिखित कार्य करना जनता के लिए उपद्रव या खतरा होगा, अर्थात:--

(1) मोटर वाहन की चोरी।

(2) यात्रियों पर हमला।

(3) यात्रियों के व्यक्तिगत प्रभावों की चोरी।

(4) माल के डिब्बों में ले जाए जाने वाले सामान की चोरी।

(5) किसी भी विधि के तहत माल का परिवहन निषिद्ध है।

[(6) परिवहन वाहन चलाते समय चालक स्वयं को ऐसी गतिविधि में संलग्न करता है जिससे उसकी एकाग्रता बाधित होने की संभावना होती है।]

(7) यात्रियों का अपहरण।

(8) मालवाहक गाड़ियों में क्षमता से अधिक सामान ले जाना।

(9) निर्धारित सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना।

(10) मालवाहक गाड़ी में, चाहे वह चालक के केबिन के अंदर हो या वाहन पर, चाहे वह किराये पर हो या नहीं, क्षमता से अधिक लोगों को ले जाना।

(11) धारा 134 के प्रावधानों का पालन न करना।

(12) जब किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा रुकने का संकेत दिए जाने पर रुकने में विफलता।

(13) यात्रियों, इच्छुक यात्रियों या माल भेजने वालों और प्राप्तकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करना और उनके प्रति अशिष्टता प्रदर्शित करना।

(14) सार्वजनिक सेवा वाहन चलाते समय धूम्रपान करना।

(15) सार्वजनिक स्थान पर वाहन को छोड़ देना जिससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं या वाहन में सवार यात्रियों को असुविधा होती है।



- (16) शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में वाहन चलाना।
- (17) किसी अन्य वाहन पर चढ़ने या चढ़ने की तैयारी कर रहे किसी व्यक्ति के काम में बाधा डालना।
- (18) किसी व्यक्ति को इस प्रकार बैठने देना या चीजें रखना जिससे चालक को सड़क का स्पष्ट दृश्य या वाहन पर उचित नियंत्रण प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हो।
- (19) कंडक्टर या वाहन से उतरने के इच्छुक किसी यात्री की मांग या संकेत पर सुरक्षित और सुविधाजनक स्थिति में पर्याप्त समय के लिए अनुमोदित ठहराव स्थानों पर मंजिली गाड़ी को नहीं रोकना और यात्री बनने के इच्छुक किसी व्यक्ति की मांग या संकेत पर, जब तक कि वाहन में जगह न हो।
- (20) किसी यात्रा में अनावश्यक रूप से विलंब करना या आवारागर्दी करना तथा वाहन से संबंधित समय-सारणी के अनुसार गंतव्य तक यथासम्भव न पहुँचना, या जहाँ ऐसी कोई समय-सारणी न हो, वहाँ पूरी तत्परता से न पहुँचना
- (20) किसी यात्रा में अनावश्यक रूप से विलंब करना या आवारागर्दी करना तथा वाहन से संबंधित समय-सारणी के अनुसार गंतव्य तक यथासम्भव न पहुँचना, या जहाँ ऐसी कोई समय-सारणी न हो, वहाँ पूरी तत्परता से न पहुँचना।
- (22) मोटर कैब का चालक, यात्रा की लंबाई पर ध्यान दिए बिना, उसे दिए गए प्रथम किराये के प्रस्ताव को स्वीकार न करना।
- (23) मोटर कैब का चालक, कानूनी रूप से हकदार किराये से अधिक किराया मांगता है या वसूलता है या मोटर कैब चलाने से इंकार करता है।
- [(24) किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर किसी प्रकार के विरोध या आंदोलन या हड़ताल के रूप में परिवहन वाहन को इस प्रकार छोड़ना जिससे जनता या यात्रियों या ऐसे स्थानों के अन्य उपयोगकर्ताओं को बाधा या असुविधा हो।]
- [(25) वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना।]

10. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 इस प्रकार है:-

“19. ड्राइविंग अनुज्ञप्ति रखने के लिए अयोग्य घोषित करने या ऐसे लाइसेंस को रद्द करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राधिकरण की शक्ति।

(1) यदि ड्राइविंग अनुज्ञप्ति धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् कोई अनुज्ञप्ति प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है, तो वह -

(क) आदतन अपराधी या आदतन शराबी है; या

(ख) स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम', 1985 (1985 का 61) के अर्थ के भीतर किसी भी स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का आदतन आदी है; या



(ग) संज्ञेय अपराध करने में मोटर वाहन का उपयोग कर रहा है या उसका उपयोग किया है; या

(घ) मोटर वाहन के चालक के रूप में अपने पिछले आचरण से यह प्रदर्शित किया है कि उसके ड्राइविंग से जनता को खतरा होने की संभावना है; या

(ङ) धोखाधड़ी या गलत तरीके से मोटर वाहन के किसी विशेष वर्ग या विवरण को चलाने के लिए कोई ड्राइविंग अनुज्ञप्ति या लाइसेंस प्राप्त किया है; या

(च) इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई कार्य किया है जिससे जनता के लिए उपद्रव या खतरा पैदा होने की संभावना है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है; या

(छ) धारा 22 की उप-धारा (3) के परंतुक में निर्दिष्ट परीक्षणों को प्रस्तुत करने में विफल रहा है या उत्तीर्ण नहीं हुआ है; या

(ज) अठारह वर्ष से कम आयु हेतु व्यक्ति होने के नाते जिसे अनुज्ञप्ति धारक की देखभाल करने वाले व्यक्ति की लिखित सहमति से लर्नर्स अनुज्ञप्ति या ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है तथा वह ऐसी देखभाल में नहीं है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले हेतुरणों से एक आदेश दे सकता है -

(i) उस व्यक्ति को लाइसेंस में निर्दिष्ट वाहनों के समस्त या किसी भी वर्ग या विवरण को चलाने हेतु कोई ड्राइविंग अनुज्ञप्ति रखने या प्राप्त करने हेतु एक निर्दिष्ट अवधि हेतु अयोग्य घोषित करना; या

(ii) ऐसा कोई भी अनुज्ञप्ति रद्द कर दें।

2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किया जाता है, वहां चालन-अनुज्ञप्ति धारक, यदि चालन-अनुज्ञप्ति पहले ही अभ्यर्पित नहीं की गई है, तो आदेश देने वाले अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत चालन-अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित कर देगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी,-

(क) यदि ड्राइविंग अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के तहत जारी किया गया ड्राइविंग अनुज्ञप्ति है, तो इसे तब तक रखें जब तक कि अयोग्यता समाप्त नहीं हो जाती या हटा नहीं दिया जाता है; या

(ख) यदि वह इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया चालन-अनुज्ञप्ति नहीं है, तो उस पर निरर्हता का पृष्ठांकन करेगा और उसे उस अनुज्ञापन प्राधिकारी को भेजेगा जिसने उसे जारी किया था; या

(ग) किसी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की स्थिति में, उस पर प्रतिसंहरण का पृष्ठांकन करेगा और यदि वह वह प्राधिकारी नहीं है जिसने उसे जारी किया था, तो प्रतिसंहरण के तथ्य की सूचना उस प्राधिकारी को देगा जिसने वह अनुज्ञप्ति जारी की थी:

परंतु कि अगर किसी व्यक्ति का ड्राइविंग अनुज्ञप्ति उसे एक से ज्यादा खंड या तरह की मोटर गाड़ियों को चलाने की अधिकृत करता है तथा उप-धारा (1) के तहत दिया गया आदेश उसे किसी विशेष खंड या मोटर वाहनों के



विवरण को चलाने के लिए अयोग्य ठहराता है, तो लाइसेंस प्राधिकरण ड्राइविंग अनुज्ञप्ति पर अयोग्यता का समर्थन करेगा तथा उसे धारक को वापस कर देगा।

(3) उप-धारा(1) के तहत लाइसेंस प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी आदेश से परेशान कोई भी व्यक्ति, आदेश मिलने के तीस दिनों के अंदर, तय प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है, और ऐसी अपीलीय प्राधिकरण अनुज्ञप्ति प्राधिकरण को नोटिस देगी और यदि कोई पक्ष चाहे तो दोनों भी पक्ष को सुनेगी और ऐसा आदेश पास कर सकती है जैसा वह ठीक समझे और ऐसी किसी भी अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा।”

11. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 134 निम्नानुसार प्रदान करती है:---

134. किसी व्यक्ति की दुर्घटना और चोट लगने की स्थिति में चालक का कर्तव्य

जब कोई व्यक्ति घायल होता है या किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, एक मोटर वाहन से जुड़ी दुर्घटना के परिणामस्वरूप, वाहन का चालक या वाहन का प्रभारी अन्य व्यक्ति-

(क) जब तक भीड़ के रोष या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से ऐसा करना व्यावहारिक न हो, घायल व्यक्ति के लिए चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा, [उसे निकटतम चिकित्सक या अस्पताल पहुंचाकर, और अस्पताल में सेवा पर मौजूद प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर का यह कर्तव्य होगा कि वह घायल व्यक्ति को तुरंत देखे और किसी भी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किए बिना चिकित्सा सहायता या उपचार प्रदान करे], जब तक कि घायल व्यक्ति या उसके अभिभावक, यदि वह नाबालिग है, अन्यथा इच्छा न रखें;

(ख) पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसके द्वारा अपेक्षित कोई भी जानकारी दे, या, यदि कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है, तो घटना की परिस्थितियों की रिपोर्ट करे, जिसमें खंड (क) के तहत अपेक्षित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम न उठाने की परिस्थितियां, यदि कोई हों, शामिल हैं, जितनी जल्दी हो सके, और किसी भी मामले में घटना के चौबीस घंटे के भीतर निकटतम पुलिस थाना पर रिपोर्ट करे;

[(ग) बीमाकर्ता को, जिसने बीमा प्रमाणपत्र जारी किया है, दुर्घटना के बारे में लिखित रूप में निम्नलिखित जानकारी दें, अर्थात्:

(i) बीमा पॉलिसी संख्या और उसकी वैधता अवधि; (ii) दुर्घटना की तिथि, समय और स्थान; (iii) दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्तियों का विवरण; (iv) चालक का नाम और उसके ड्राइविंग अनुज्ञप्ति का विवरण।

स्पष्टीकरण-

-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, चालक शब्द में वाहन का स्वामी भी शामिल है।]



12. अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि टाटा नेक्सन कार, पंजीयन क्रमांक CG 04 MM 3142, चलाते समय घातक दुर्घटना घटित हुई तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध थाना पिपरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में अपराध क्रमांक 178/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उक्त आपराधिक प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है तथा याचिकाकर्ता को किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।

13. अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जी. मणि बनाम लाइसेंसिंग प्राधिकरण/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी {डब्ल्यू.पी. संख्या 10575/2022 और डब्ल्यू.एम.पी. संख्या 10395/2022, 26/04/2022 को तय} और टी.एम. मधु बनाम अनुज्ञप्ति प्राधिकरण (डब्ल्यू.पी. संख्या 11543/2022 और डब्ल्यू.एम.पी. संख्या 11021/2022, 29/04/2022 को निर्धारित) में पारित आदेश पर भरोसा रखा, जिसमें उक्त न्यायालय ने उत्तरवादीगण को याचिकाकर्ता को मूल ड्राइविंग लाइसेंस वापस करने का निर्देश दिया है।

14. मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्त निर्णय में अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। इस मामले में भी आपराधिक मामला लंबित है और याचिकाकर्ता को किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। वर्तमान मामले में उत्तरवादी संख्या 2 और 3 ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि अभिलेख के अवलोकन से उन्होंने पाया है कि याचिकाकर्ता ने वाहन को तेज और लापरवाही से चलाया है और इस आधार पर उन्होंने याचिकाकर्ता के ड्राइविंग लाइसेंस को छह महीने की अवधि के लिए अर्थात् 07/04/2025 से 06/10/2025 तक निलंबित करने का आदेश पारित किया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि याचिकाकर्ता का आपराधिक मामला लंबित है तथा विचारण न्यायालय ने आज तक निर्णय नहीं सुनाया है।

15. यहां तक कि धारा 19 (1) (सी) को लागू करने के लिए, यह दिखाना आवश्यक है कि मोटर वाहन का उपयोग संज्ञेय अपराध करने में किया जाता है। इसके अलावा, अनुज्ञप्ति केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब चालक को संज्ञेय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और आपराधिक मामला लंबित होने पर ड्राइविंग अनुज्ञप्ति का निलंबन वैध नहीं है। इस बारे में कोई विशिष्ट कथन किए बिना, ड्राइविंग अनुज्ञप्ति को निलंबित करने के आदेश को उचित दिमाग लगाने के पश्चात् पारित नहीं किया जा सकता है।

16. उपरोक्त को देखते हुए, रिट याचिका मंजूर की जाती है, और 25/07/2025 और 07/04/2025 के आदेश अपास्त किया जाते हैं। उत्तरवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की दिनांक से एक हफ्ते के अंदर याचिकाकर्ता का ड्राइविंग अनुज्ञप्ति वापस लौटा दे। हालांकि, यह उत्तरवादी को कोई भी कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगा, यदि अधिनियम की धारा 19 (1) के



खंड (ए) से (एच) में निर्दिष्ट कोई भी आकस्मिकता बाद में उत्पन्न होती है यदि धारा 19 (1) (एफ) के अनुसरण में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है।

सही/-
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

